

05/01/21

पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष  
हाजिर नहीं। वकील उभयपक्ष की रुक-रुक  
कर आवाजें लगाई गयीं। हाजिर नहीं होने  
लिहाता पर वकील उभयपक्ष की दायक  
दायकी - दायक पेश की खारिज किया जाता  
है। पत्रावली केसल में शुमार होकर मूल  
काद से लगन रहे। न्यायालय द्वारा पूर्व  
में जारी निर्दिष्टा दिनांक 11.01.2016 को  
निरस्त किया जाता है। आर्चवा हुवाला ममा



उपखण्ड अधिकारी राजस्व  
रायसिंहनगर